मध्यप्रदेश विधान सभा
पत्रक भाग-दो
गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 2020 (माघ 24, 1941)

पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा का पंचम सत्र

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पंचदश मध्यप्रदेश विधान सभा का पंचम सत्र सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 को प्रारम्भ होगा.

पंचम सत्र में कार्य निष्पादन के लिए दिनों का नियतन

मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र

(1) इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिए नियत की गई हैं:—

मार्च - 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 एवं 31; तथा
अप्रैल - 1, 3, 7, 8, 9 एवं 13.

(2) बैठकों की अस्थायी दिनदर्शिका सदस्यों को अलग से भेजी जा रही है.

विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से 5.30 बजे तक होंगी.

विधान सभा के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल, विधान सभा वेश्म में समवेत् विधान सभा के समक्ष सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020 को पूर्वाह्न 11.05 बजे अभिभाषण करेंगे. इस संबंध में पृथक् से पत्रक भाग-दो जारी किया जायेगा. सदस्यों से निवेदन है कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हो, उस समय सभा भवन से बाहर न जायें.

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां अभिभाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सूचना कार्यालय में सदस्यों के उपयोग के लिए रखी गई खानेदार अलमारी से वितरित की जायेंगी.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार, दिनांक 18 मार्च तथा गुरुवार, दिनांक 19 मार्च, 2020 अस्थायी रूप से नियत किये गये हैं.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये जाने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचना दिनांक 16 मार्च, 2020 को सायं 5.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में दी जा सकती है, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

अशासकीय कार्य

इस सत्र में गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए शुक्रवार 20 एवं 27 मार्च, 2020 तथा 3 अप्रैल, 2020 के अंतिम ढाई घंटे निर्धारित किये गये हैं.

अशासकीय विधेयकों की सूचना इस सचिवालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 04 मार्च, 2020 तथा अशासकीय संकल्पों की सूचना इस सचिवालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि दिनांक 5 मार्च, 2020 है.

सत्र प्रारंभ होने के पूर्व दी जाने वाली सूचनाएं

सभा की बैठक आरंभ होने के पूर्व सदस्यों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सूचनाएं दिनांक 9 मार्च, 2020 से कार्यालय समय में विधान सभा सचिवालय द्वारा प्राप्त की जावेंगी तथा उन पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया जायेगा. उक्त दिनांक से पूर्व प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर विचार नहीं किया जायेगा :—

(1) स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.

(2) ध्यान आकर्षण की सूचनाएं.

(3) नियम 267-क के अधीन सूचनाएं.

(4) मंत्रि-परिषद् में अविश्वास की सूचनाएं.

स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं

(क) कार्य की सुविधा की दृष्टि से स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन सूचनाएं प्राप्त करने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं **श्री रमेश महाजन, उप सचिव** प्राप्त करेंगे, अपने स्थान पर उनके उपलब्ध न होने की दशा में ये सूचनाएं **प्रमुख सचिव** प्राप्त करेंगे.

(ख) उपर्युक्त सूचनाएं सत्र वाले दिन प्रात: 8.00 बजे से प्राप्त की जायेंगी. स्थगन प्रस्ताव,ध्यान आकर्षण तथा नियम 267-क की सूचनाएं प्रात: 9.00 बजे के बाद प्राप्त होने की दशा में अगले दिन के लिए मानी जायेंगी. **जिन दिनों में बैठकें नहीं होंगी और सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा उन दिनों में ये सूचनाएं पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक सचिवालय में ली जायेंगी.** संबंधित अधिकारी उपरोक्त सूचनाएं प्राप्त होते ही सर्वप्रथम प्राप्ति का दिनांक तथा समय, सूचना देने वाले सदस्य के सामने अंकित करेंगे. शासकीय अवकाश के दिनों में किसी कारणवश सचिवालय खोले जाने पर उस दिन सचिवालय में सूचनाएं प्राप्त नहीं की जायेंगी. सूचनाएं विधान सभा के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के घर पर नहीं ली जायेंगी.

(ग) नियम 267-क के अंतर्गत विषय उठाने की प्रक्रिया :—

(1) नियम 267-क के अंतर्गत विषय उठाने की सूचनाएं भेजते समय उस वक्तव्य का पूरा पाठ अवश्य भेजा जाए जो कि अनुमति प्राप्त होने पर सदन में पढ़ा जायेगा.

(2) वक्तव्य सर्वथा संक्षिप्त और विषय से ही संबंधित होना चाहिए.

(3) सूचनाएं देने के लिए प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं.

(4) सप्ताह में सभा की होने वाली बैठकों के अन्तिम दिन प्रात: 9.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष महोदय की सम्मति प्राप्त सूचनाओं के अतिरिक्त शेष सूचनाएं व्यपगत मानी जायेंगी, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जायेगी. ऐसी व्यपगत सूचनाओं के विषय उठाने हेतु आगामी सप्ताह में पुन: सूचना दी जा सकती है. उपर्युक्त समय के उपरान्त प्राप्त सूचना आगामी सप्ताह में होने वाली सभा की बैठक के लिए मान्य होगी.

सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से निम्नांकित नियम 251 की ओर दिलाया जाता है :—

''251. **बोलते समय कोई सदस्य**—

(1) किसी ऐसे तथ्य-विषय का निर्देश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो.

(2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा.

(3) संसद् या किसी राज्य विधान मण्डल की कार्यवाही के संचालन के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा.

(4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आक्षेप नहीं करेगा.

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो.

व्याख्या.—शब्द ''उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों'' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अधीन केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है, या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में उनके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिए.

(6) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा.''

सूचनाओं के पहले से प्रकाशन पर प्रतिबंध

विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अधीन दी जाने वाली किसी भी सूचना के प्रकाशन को नियम 236-क निम्नानुसार प्रतिबंधित करता है :—

''236-क. किसी सूचना का प्रकाशन किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत न कर ली गई हो और सदस्यों में परिचालित न कर दी गई हो :

परन्तु किसी प्रश्न की सूचना का उस दिन तक कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा जिस दिन कि उस प्रश्न का सभा में उत्तर दिया जाए.''

विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था

विधान सभा एवं उसकी समितियों के सुचारू रूप में कार्य संचालन हेतु विधान सभा में सुरक्षा की व्यवस्था रहती है तथा बाहरी व्यक्तियों को विधान सभा में प्रवेश देने हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये जाते हैं. माननीय सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने साथ दर्शकों को विधान सभा परिसर, दीर्घाओं व विभिन्न कक्षों में बिना प्रवेश-पत्र के प्रवेश देने हेतु सुरक्षा कर्मियों को बाध्य न करें. इससे सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान उपस्थित होता है. सत्रकाल में अपने साथ लाने वाले दर्शकों को प्रवेश-पत्र बनवाकर ही उन्हें विधान सभा परिसर व कक्षों एवं भवन में प्रवेश दिलायें.

सदस्यों के लिए साहित्य

सत्रकाल में सदस्यों के उपयोग के लिए साहित्य, सूचना कार्यालय में खानेदार अलमारी में रखकर वितरित किया जाता है. प्रत्येक सदस्य अपने नाम के ऊपर वाले खाने से ही अपना साहित्य निकालने का कष्ट करें.

सदस्य का नाम व पता

सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम व पते अथवा दूरभाष क्रमांकों में किये गये परिवर्तन की सूचना भी विधान सभा सचिवालय को तुरन्त देने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार उनसे उक्त पते पर ही पत्र व्यवहार किया जा सके.